थारू जनजाति में विवाह व्यवस्था का परिवर्तित स्वरूप

रीता गौतम
सीनियर रिसर्च स्कॉलरए
राजीव गॉधी नेशनल फैलोशिप,नई दिल्ली
मानवशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्विद्यालय, लखनऊ

शोध सार

प्रस्तुत शोधपत्र में लखीमपुर खीरी जिले के थारू जनजाति की विवाह व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के अन्तर्गत थारू जनजाति की विवाह व्यवस्था में पूर्व की अपेक्षा वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हुए है इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है।

प्रस्तावना

विवाह का हर एक धर्म में अपना एक अलग स्थान है। जैसे ईसाई धर्म में विवाह का प्रमुख उद्देश्य यौन सन्तुष्टि है, तो हिन्दू समाज में विवाह धर्म की रक्षा करने या धार्मिक संस्कार से सम्बन्धित होता हे। यही पर मुस्लिम समाजों में विवाह का उद्देश्य वैध सन्तानोत्पत्ति को जन्म देने से है। वही जनजातीय समुदायों में विवाह का तात्पर्य साथ-साथ रहने का सामाजिक समझौता है। अर्थात् कुछ समाजों में विवाह एक धार्मिक संस्था ,तो कुछ में कानूनी एवं सामाजिक समझौता होता है।दूसरे शब्दों में कह सकते है, कि **विवाह दो विषमलिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी स्वीकृति है।**

मूलरूप से विवाह शब्द का प्रयोग दो अर्थो में होता है। इसका पहला अर्थ उस क्रिया संस्कार या पद्धति से लिया जाता है। जिसमें पति पत्नी के मध्य स्थायी सम्बन्ध का निर्माण होता है। मनुस्मृति के टीकाकार मेघा तिथि (3/20) के शब्दों में "विवाह एक निश्चित पद्धति से किया जाने वाला, अनेक विधियों से सम्पन्न होने वाला तथा कन्या को पत्नी बनाने वाला संस्कार है।" रघुनन्दन के मत के अनुसार "विवाह उस विधि को कहते है। जिसमें कोई स्त्री किसी की पत्नी बनती है।" वेस्टर मार्क के शब्दों में "विवाह एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ एक ऐसा सम्बन्ध है, जो इस सम्बन्ध को करने वाले दोनों पक्षों को तथा उनकी सन्तानों को कुछ अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करता है।

समाज में प्रचलित एवं स्वीकार्य रीतियों द्वारा स्थापित किया जाने वाला दाम्पत्य सम्बन्ध और पारिवारिक जीवन होता है। विवाह में यदि एक ओर पति-पत्नी को यौन सुख का अधिकार मिलता है। वही दूसरी ओर दम्पत्ति को सन्तति के पालन पोषण से सम्बन्धित कर्तव्यों के लिए बाध्य भी करता है। संस्कृति में उपरोक्त कथन का मूल अर्थ भी देखने को मिलता है। जहा पति शब्द का अर्थ पालन तथा भारया शब्द का अर्थ भारण-पोषण की

जाने योग्य नारी से बताया गया है। पति की सन्तानों और पत्नी पर कुछ अधिकार माने जाते है साथ ही उनके भरण पोषण सम्बन्धी कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी भी पति की होती है।

विवाह के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि विवाह मानव समाज की अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रथा या समाजशास्त्रीय संस्था है। यह समाज की छोटी इकाई मानी जाती है, और इसको प्रत्येक समाज में पूरे रीति-रिवाज के साथ मान्यता प्रदान की गई है। जैसे- हम हिन्दू धर्म की बात करे, तो हिन्दू धर्म में प्राचीन समय से लेकर अभी तक आठ प्रकार के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है।

1. ब्रहा विवाह
2. दैव विवाह
3. आर्ष विवाह
4. प्रजापत्य विाह
5. असुर विवाह
6. गन्धर्व विवाह
7. राक्षस विवाह
8. पैशाच विवाह

वर्तमान समय में आज भी हिन्दू समाज में अधिकतर ब्रहा विवाह का प्रचलन है। जिसमें कन्या का पिता योग्य युवक को खोजकर अपने घर पर आदर सहित आमन्त्रित करता है और धार्मिक संस्कार द्वारा कन्या का विवाह कर देते है। हिन्दू समाज में इनके अलावा कुछ और भी विवाह समाज में प्रचलित है। जिनको उनके समाज द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। जैसे बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, समूह विवाह, विलिंग सहोदरज विवाह, समलिंगी सहोदरज विवाह, देवर विवाह, साली विवाह, बर्हिविवाह, अन्तः विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह ।

जनजातीय विवाह पद्धति

जनजातियों में विवाह सामान्यतः एक वैध अनुबन्ध है न कि धार्मिक संस्कार । इनके यहॉ भी विवाह के अनेकों रूप प्रचलित है। भारत में अनेकों जनजातियॉ पायी जाती है। सभी जनजातियों का सामाजिक स्तर अलग-अलग होता है। फिर चाहे राजनैतिक ईकाई संगठन की बात करे या इनकी विवाह पद्धति की प्रत्येक में कुछ न कुछ बदलाव होते है। यह अपने रीति रिवाजों द्वारा अन्य जनजातियों से स्वयं को पृथक रख पाते है। जैसे कही थारू समुदाय में विवाह के अलग रीति-रिवाज पाये जाते है, तो गोंड में अलग विवाह पद्धतियॉ देखने को

मिलती है। अर्थात् सबमें विवाह प्रकिया जरूर विद्यमान है, लेकिन उसका स्वरूप अलग-अलग पाया जाता है। कुछ जनजातियों में बहुपति, बहुपत्नी, इत्यादि विवाह भी शामिल होते है।

परन्तु हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आने के कारण जनजातियों में भी धार्मिक अनुष्ठानों का प्रवेश हुआ है। थारू जनजाति में विवाह के विभिन्न स्वरूप प्रचलित है।

- परिवीक्षा विवाह
- हरण विवाह
- परीक्षा विवाह
- क्रय विवाह
- सेवा विवाह
- विनिमय विवाह
- पलायन विवाह
- हठ विवाह
- खासी विवाह
- चुटाकुटा विवाह
- विनिमय विवाह
- उघरा विवाह अथवा प्रेम विवाह
- खर्चा विवाह

शोध क्षेत्र लखीमपुर खीरी का परिचय

लखीमपुर खीरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इसकी प्रशासकीय राजधानी लखीमपुर खीरी शहर है। लखीमपुर खीरी जिला लखन मण्डल का एक हिस्सा है। जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है।

अनुसंधान विधि

यह शोधपत्र लखीमपुर खीरी जिले के सन्दर्भ में लिखा गया है। थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पायी जाती है। इनकी विवाह पद्धति में पूर्व की तुलना में काफी परिवर्तन आया है। मेरा शोधपत्र इसी पर आधारित है। मैंने इस शोधपत्र को लिखने में प्राथमिक ऑकड़ों को साक्षात्कार विधि की सहायता से ऑकड़ों का संकलन किया गया है। जिसमें वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए क्षेत्र अध्ययन किया गया हैं। शोधपत्र में वैज्ञानिक पूर्ण, वस्तुनिष्ठ पूर्ण, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता बनाने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत में अवलोकन, अर्द्ध सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली,

निदर्शन आदि प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित साहित्य ग्रन्थों का अध्ययन तथा सामूहिक बातचीत का भी सहारा लिया गया है।

विश्लेषण

थारू जनजाति में अन्य जनजातियों का भॉति ही अपने आप में एक अनूठी एवं अद्वितीय विशेषताएँ है। यह विशेषताएँ थारू जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को पुष्ट करती है। यद्यपि थारू समुदाय में जनजातीय विवाह के अधिकांशतः सभी स्वरूप किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अन्य जनजातीयों की भॉति ही थारू समुदाय में अपने वैवाहिक परम्पराओं पर अत्यधिक आस्था है। परन्तु फिर भी वर्तमान परिवेश में पश्चात् संस्कृति, आधुनिकीकरण , शिक्षा एवं स्वास्थ्य समबन्धी जागरूकता के चलते कुछ एक स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। यद्यपि ये परिवर्तन बहुआयामी नहीं है अर्थात् थारू समुदाय में वर्तमान में भी विवाह के पूर्व परम्पराओं का स्वरूप यथावत विद्यमान है। सामाजिक नियमों में शिथिलता व जागरूकता के फलस्वरूप आये परिवर्तनों को इस प्रकार से सारणीगद्ध किया गया है।

विवाह योग्य आयु के आधार पर वैवाहिक स्थिति में आए परिवर्तनों पर आधारित शोध कार्य को अधोवर्णित सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है।

	वर्तमान				**पूर्व**			
विवाह की उम्र (वर्षो में)	**लड़का**	**प्रतिशत**	**लड़की**	**प्रतिशत**	**लड़का**	**प्रतिशत**	**लड़की**	**प्रतिशत**
10 वर्ष से पूर्व	9	5.29	12	7.06	65	38.24	68	40.00
10 से 14	12	7.06	35	20.59	58	34.12	75	44.12
15 से 17	43	25.29	77	45.29	27	15.88	15	8.82
18 से 20	68	40.00	28	16.47	14	8.24	9	5.29
21 से 23	29	17.06	15	8.82	6	3.53	3	1.76
24 वर्ष से अधिक	9	5.29	3	1.76	0	0.00	0	0.00
कुल योग	170	100.00	170	100.00	170	100.00	170	100.00

विवाह योग्य आयु के आधार पर वैवाहिक स्थिति में आए परिवर्तन

उपरोक्त सारणी में थारू जनजातीय समाज में विवाह की आयु की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया है। उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है, कि वर्तमान परिवेश में विवाह योग्य लड़के की आयु का सर्वाधिक

40 प्रतिशत 18 से 20 वर्ष के मध्य का है, जबकि पूर्व में यह लगभग 38.24 प्रतिशत 10 वर्ष से पूर्व की आयु का था, अर्थात् इस परिवर्तन से स्पष्ट है, कि थारू समुदाय में बाल विवाह की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। परन्तु फिर भी यदि तालिका को देखे तो लगभग 40 से अधिक प्रतिशत लड़कों का विवाह 17 वर्ष से पहले ही वर्तमान परिवेश में भी हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त यदि थारू समुदाय में लड़कियों के विवाह की आयु से सम्बन्धित ऑकड़ों पर दृष्टि डाले तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रतिशत के अन्तर्गत 15 से 17 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों का है। जोकि लगभग 45.29 प्रतिशत है। परन्तु आज भी 10 से 14 वर्ष से पूर्व आयु वर्ग का प्रतिशत 20.59 तथा 10 वर्ष से पूर्व आयु वर्ग का प्रतिशत लगभग 7.06 है। जोकि अभी भी थारू तथा समुदाय में पूर्व की रूढ़िवादी परम्पराओं एवं अशिक्षा अज्ञानता का द्योतक परिचायक है। परन्तु यदि पूर्व की स्थिति पर दृष्टि डाले तो लगभग 80 प्रतिशत से ऊपर लड़कियों का विवाह 14 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता था।

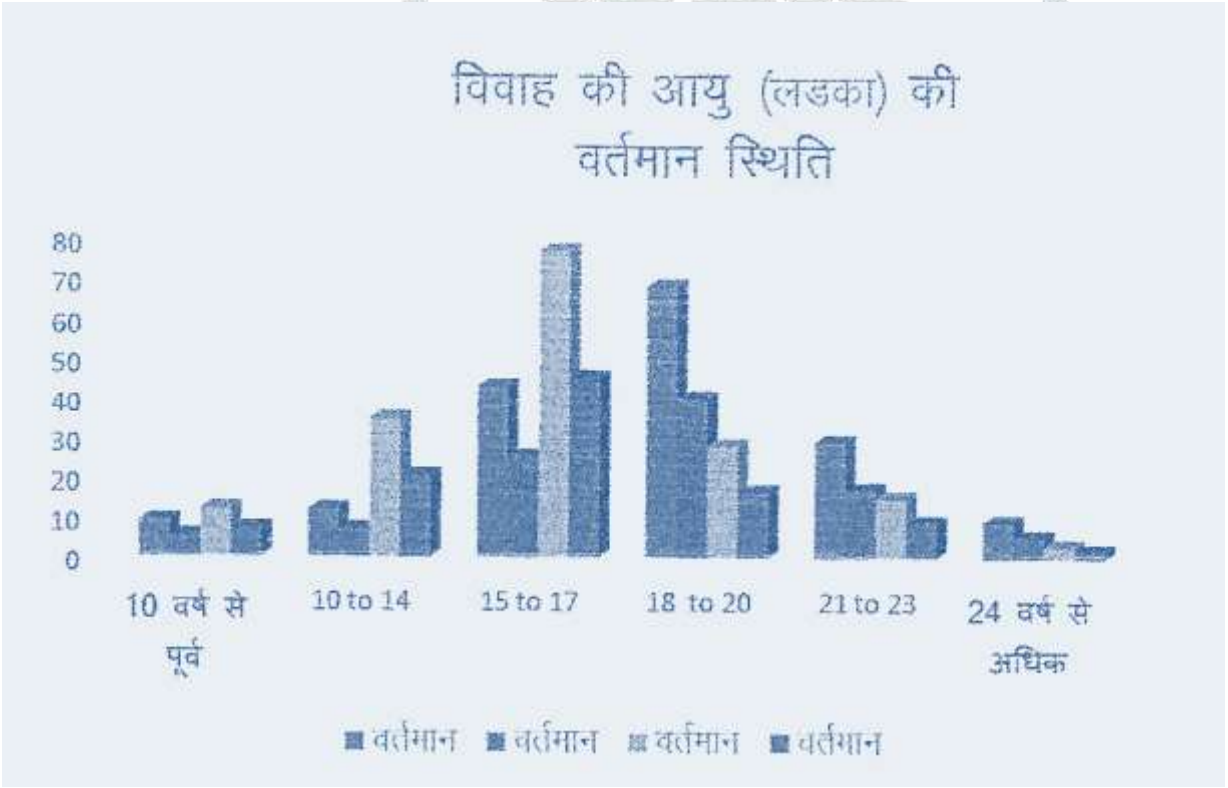

इसके अतिरिक्त 21 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की लड़कियों का प्रतिशत लगभग नगण्य था अर्थात् इस आयु वर्ग तक लगभग सभी लड़कियों का विवाह हो जाता था। तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है, कि वर्तमान में विवाह की आयु वर्ग की दृष्टि से थारू समुदाय में स्वस्थ्य जागरूकता देखने को मिलती है। बालिकाओं के विवाह की आयु वर्ग में आए परिवर्तन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि थारू समुदाय बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनके सामाजिक उत्थान के प्रति जागरूक हुआ है। परन्तु फिर भी कुछ

अत्यन्त पिछड़े सामाजिक परिवारों में आज भी बालिकाओं की दशा सोचनीय है तथा इसमें अमूलचूक परिवर्तन की आवश्यकता आज भी विद्यमान है।

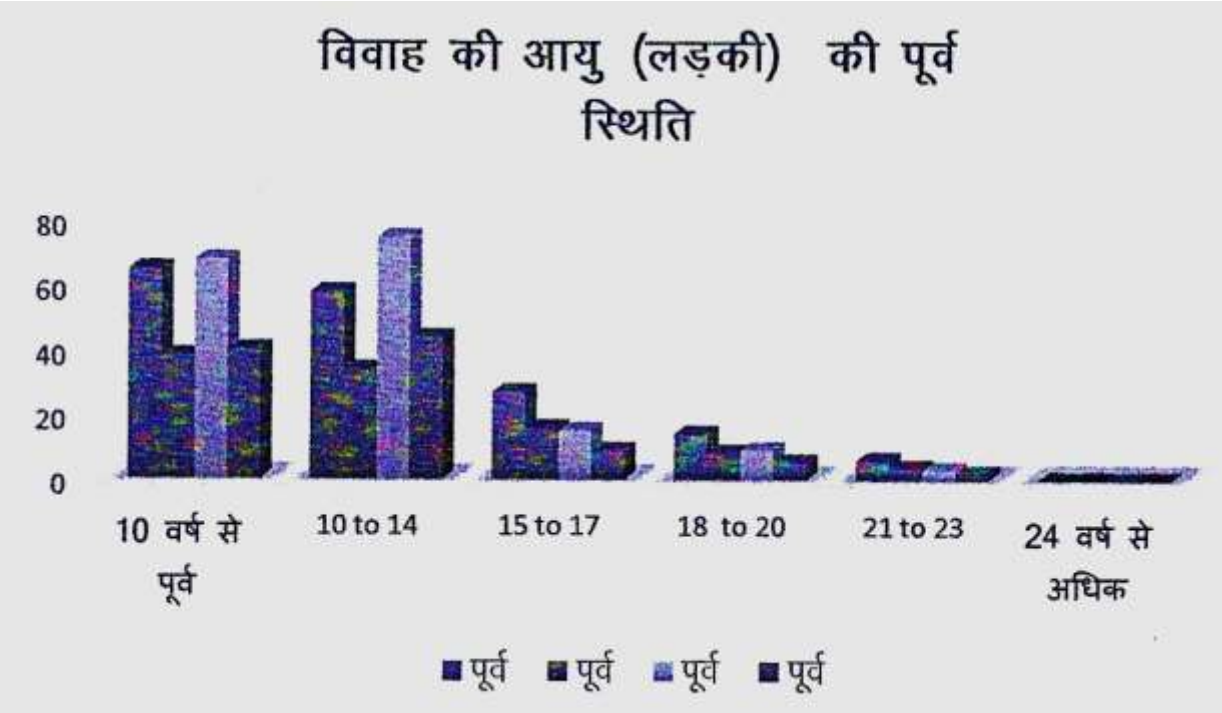

थारू जनजाति में विवाह की प्रचलित प्रथाओं एवं परम्पराओं में आए परिवर्तनों को सारणी से स्पष्ट किया गया है।

विवाह की प्रथायें		वर्तमान		पूर्व
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बाल-विवाह	75	25.00	135	45.00
अन्त: विवाह	33	11.00	93	31.00
बर्हिविवाह	132	44.00	12	4.00
प्रेम-विवाह	42	14.00	33	11.00
पुनर्विवाह ;विधवा/विधुर)	18	6.00	27	9.00
योग	300	100.00	300	100.00

थारू जनजाति में विवाह की प्रचलित प्रथाओं एवं परम्पराओं पर शोधकार्य द्वारा दृष्टि डालने से ज्ञात होता है, कि पूर्व में थारू जनजाति में सर्वाधिक प्रतिशत अन्तःविवाह अन्तः वैवाहिक परम्परा का था। जोकि लगभग 31 प्रतिशत था।

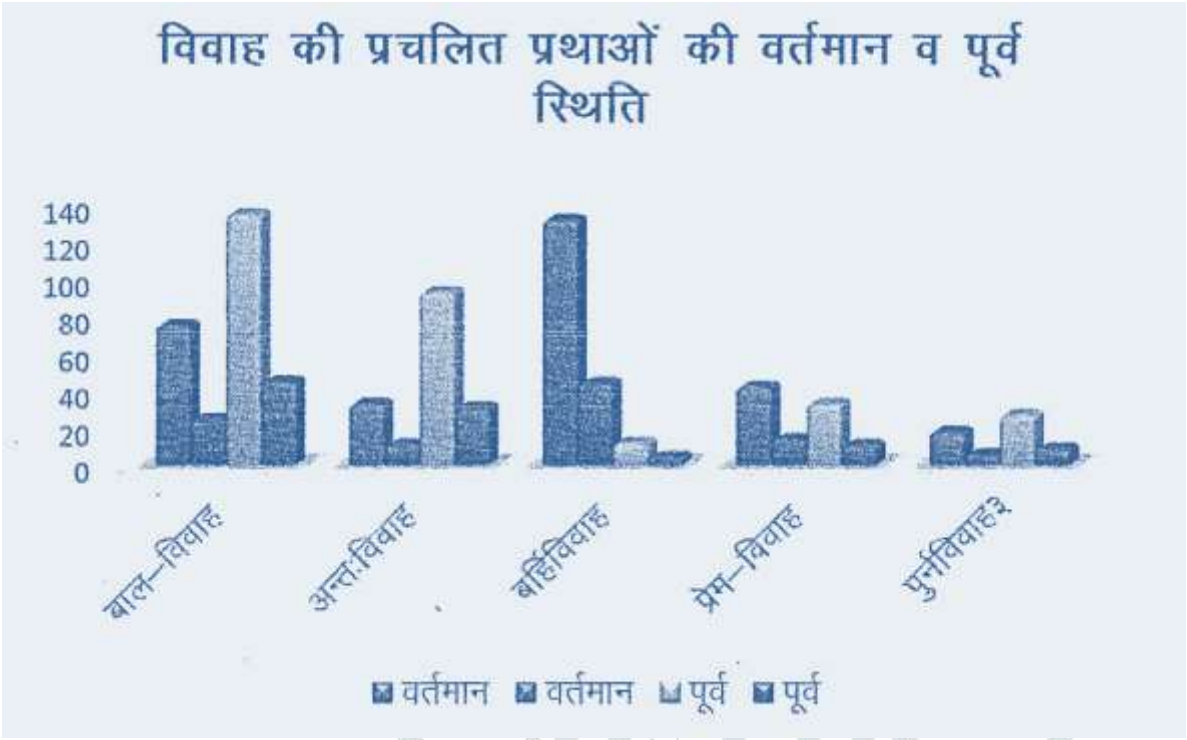

परन्तु आज के परिवेश में थारू समुदायों में अन्तः विवाह की संख्या में कमी देखने को मिलती है। इसके विपरीत जनजाति में बर्हिविवाह के प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिलती है, अर्थात् थारू समाज में अपने समूहों से हटकर अन्य उपसमूहों में भी विवाह होने प्रारम्भ हो गए। इसके अतिरिक्त थारू समुदाय समाज आज भी बाल विवाह की कुपरम्परा से ग्रसित है। जोकि वर्तमान में 25 प्रतिशत के ऑकड़ें से स्पष्ट होता है। थारू समाज में प्रेम विवाह एवं विधवा पुर्न विवाह की संख्या में भी अत्यन्त व्यापक तो नहीं परन्तु क्षीण वृद्धि देखने को मिलती है। जिसका कारण थारू जनजाति का वाह्य परिवेश से सम्पर्क होना है।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोधपत्र में निष्कर्ष रूप में यह ज्ञात होता है कि थारू जनजाति के परिवारिक स्वरूप के अन्तर्गत अधिकांशतः थारू समुदाय के लोग वर्तमान समय में मूलरूप से एकल पत्नी का वाहक है। यद्यपि पूर्व में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। जो वर्तमान समय में लुप्त हो रही है। जहॉ थारू समुदाय में विवाह बाल्यावस्था में कर दिया जाता था। उसमें कमी आयी है। इनके यहॉ वर्तमान समय में विवाह 18 से 20 वर्ष की आयु में होने लगे है। इसी के साथ विवाह की परम्पराओं में भी परिवर्तन आया है। अन्तः विवाह में कमी आयी और बर्हिविवाह में अपने समूहो से हटकर अलग विवाह होने लगे। प्रेम व विधवा पुर्नः विवाह में अत्यन्त व्यापक तो नहीं लेकिन कुछ वृद्धि हुई है। सामाजिक जागरूकता एवं आधुनिकीकरण के चलते व वाह्य लोगों के सम्पर्क में आने से थारू समाज में परिवर्तन हुए।

सन्दर्भ सूची

1.हरी देव, 1932, बर्थ कस्टम एमंग द थारूज बाई मैन इन इण्डिया 12

2.हु0, सी0 टी0, 1957, मैरिज बाई, एक्सचेन्ज एमंग थारू, ईस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजिस्ट 10

3. माथुर, एस0,1932, मैरिज एमंग द थारूज ऑफ चन्दनचौकी, ईस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजिस्ट,20

4. आहूजा,राम, सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन जयपुर।

5. शर्मा,डा0 ए0 एन0, 1999, भारतीय मानव विज्ञान, अभिव्यक्ति प्रकाशन इलाहाबाद।